न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 152/2023
निर्णय दिनांक 31.12.2024
जीसीएमएस नम्बर 2023/312

गिरधारीलाल पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवारी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—वादी—

बनाम

राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 136 तादादी 4.9300 हैक्टेयर रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अवस्थित है। जो कि वादी द्वारा खरीदशुद्धा खेत है। वादी ने उपरोक्त कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 136 को दिनांक 30.06.1978 को खातेदार छोगा पुत्र कालूराम जाति चमार निवासी श्रीडूंगरगढ़ से खरीद किया था। विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उपपंजीयक श्रीडूंगरगढ़ मे दिनांक 30.06.1978 को कराया गया। वादगत कृषि भूमि को विक्रय पत्र का पंजीयन कराते समय विक्रय पत्र में क्रेता का नाम गीधाराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल अंकित कर दिया गया था। वादी को गीधाराम व गिरधारीलाल दोनो नाम से जाना पहचाना जाता है विक्रय—पत्र कराते समय प्रलेख लेखक को परिवार से आये हुये लोगो ने घर में बोलता नाम प्रयुक्त होने वाला नाम बता दिया गया प्रलेखक ने उसी प्रकार दर्ज कर तथा विक्रय पत्र का पंजीयन करा दिया बाद पजीयन राजस्व रिकार्ड में विक्रय—पत्र के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। वादी के उक्त दोनो ही नाम है वादी का दस्तावेजी नाम गिरधारीलाल है वादी के आम बोलचाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने से वादी को काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना दस्तावेजी नाम गिरधारीलाल अंकन करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या एक से दिनांक 30.11.2023 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या एक ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुऐ जमाबन्दी में वादी का दस्तावेजी नाम अंकन करने से साफ इन्कार कर दिया यही वाद हेतुक है। वादगत भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी होने के कारण पक्षकार समायोजित किया गया है स्टेट से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है फिर भी कानूनी आपतियो को मध्यनजर रखते हुए 80 (2) सी.पी.सी. का छूट का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ प्रस्तूत किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि के खसरा नम्बर 136 तादादी 4.9300 हैक्टेयर रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़ मे होने से वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। वादपत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर व समय सीमा के भीतर—भीतर प्रस्तूत किया जा रहा है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

(क) कि इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 136 तादादी 4.9300 हैक्टेयर रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़ मे वादी के नाम गिरधारीलाल की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावें ।

(ख) अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा उत्पन्न हो वादी के पक्ष में फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:23:58 IST
Reason: SelfAttested

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। वादी की ओर से साक्ष्यवादी पेश की गई। बयान ग्वाह लेखबद्ध किये गये। वादी की ओर से दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 136 तादादी 4.9300 हैक्टेयर रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़ मे वादी का नाम गीधाराम के स्थान पर गिरधारीलाल की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:23:58 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

गिरधारीलाल पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 152/2023
दावा बाबतः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 31.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 136 तादादी 4.9300 हैक्टेयर रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़ मे वादी का नाम गीधाराम के स्थान पर गिरधारीलाल की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।** के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 31 माह 12 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.27 14:23:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)